



EPS के तहत उच्च पेंशन

प्रलिस के लिये:

EPFO, EPS, सर्वोच्च न्यायालय, कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014।

मेन्स के लिये:

EPS के तहत उच्च पेंशन।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) के 4 नवंबर, 2022 के नरिणय के अनुसार, [कर्मचारी भविय नधि संगठन \(EPFO\)](#) ने अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को [कर्मचारी पेंशन योजना \(EPS\)](#) के तहत उच्च पेंशन का वकिलप चुनने की अनुमता देने हेतु दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

SC का नवंबर 2022 का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने [कर्मचारी पेंशन \(संशोधन\) योजना, 2014](#) को बरकरार रखा, लेकिन **नई योजना का वकिलप चुनने की समय-सीमा को चार महीने बढ़ा दिया।**
- अनुच्छेद 142** के तहत सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय EPFO सदस्यों, जिन्होंने EPS का लाभ उठाया है, को अगले चार महीनों में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक का वकिलप चुनने एवं योगदान करने का एक और अवसर प्रदान करता है, जबकि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% पेंशन के लिये 15,000 रुपए प्रतिमाह तक सीमति है।
 - पूर्व-संशोधन योजना के तहत **पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने से पहले के 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत के रूप में की गई थी।** पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने को लेकर संशोधनों ने इसे औसतन 60 महीने तक बढ़ा दिया।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सदस्यों को प्रतिमाह **15,000 रुपए से अधिक वेतन का अतरिकित 1.16% योगदान करने की आवश्यकता वाला संशोधन कर्मचारी भविय नधि और वविधि प्रावधान अधनियम, 1952 का उल्लंघन करता है।**

नए दशा-नरिदेश:

- नए दशा-नरिदेश **कर्मचारियों के EPS के लिये वास्तविक मूल वेतन (मूल वेतन + DA) के 8.33% के बराबर की राशिकाटने के लिये वडि की व्यवस्था करते हैं**, जिससे बड़ी राशिकाटने करने और उच्च पेंशन राशिकाटने करने में मदद मिलती है।
 - वर्तमान में कर्मचारियों से EPS योगदान पेंशन योग्य वेतन के लिये अधिकतम 15,000 रुपए है।
- जो अंशधारक इसका वकिलप चुनते हैं, उनके लिये सतिंबर 2014 से कर्मचारी भविय नधि (EPF) में जाने वाले नयिकाटाओं के हसिसे **कभरजति ब्याज के साथ EPS में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।**
- लाभ प्राप्त करने हेतु मूल मानदंड हैं:**
 - कर्मचारी जो 1 सतिंबर, 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे।
 - कर्मचारी और नयिकाटा जिन्होंने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।
 - कर्मचारी और नयिकाटा जिन्होंने EPS सदस्य होने के दौरान संयुक्त वकिलप का प्रयोग नहीं किया था।

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme- EPS):

- EPFO द्वारा प्रशासति EPS, वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। पेंशन फंड में **PF कॉर्पस हेतु नयिकाटाओं के योगदान का 8.33% जमा करना होता है।**
- यह 58 वर्ष की आयु में सेवानवितता के बाद **संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान करता है।**
- जो कर्मचारी EPF के सदस्य हैं वे स्वतः ही EPS के सदस्य बन जाते हैं।

- कर्मचारी भवषिय नधि (Employees' Provident Fund- EPF) योजना में नयोक्ता तथा कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मासकि वेतन (मूल वेतन और महँगाई भत्ता) का 12% योगदान करते हैं।
- EPF योजना उन कर्मचारियों हेतु अनविर्य है जो प्रतमाह 15,000 रुपए का मूल वेतन प्राप्त करते हैं।
- नयोक्ता के 12% हसिसे में से 8.33% EPS में जमा कया कया जाता है।
- केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के मासकि वेतन का 1.16% योगदान करती है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नयोजति अनयित मज़दूरों के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. सभी अनयित मज़दूर कर्मचारी भवषिय नधि सुरक्षा के हकदार हैं।
2. सभी अनयित मज़दूर नयिमति कारय समय और समयोपरर भुगतान के हकदार हैं।
3. सरकार अधसिचना द्वारा यह वनिरिदषिट कर सकती है किकोई प्रतषिटान या उदयोग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/higher-pension-under-eps>

